न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 02/2016

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00027

अनवान

1. जगमाल पुत्र तलछा।
2. चेला पुत्र तलछा।
3. छगना पुत्र तलछा।
4. परखा पुत्र तलछा।
5. मला पुत्र तलछा।
6. तुरा पुत्र तलछा।
7. छोगा पुत्र केसा।
8. भमरा पुत्र वरजांगा।
9. लाला पुत्र वरजांगा।
10. दजा पुत्र वरजांगा।
11. गणेशा पुत्र वरजांगा।
12. कसुम्बी बैवा वरजांगा।

प्रार्थीगण............

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।
2. जगमाल पुत्र अमरा, जाति–कलबी, निवासी–भादरुणा, तह सांचोर जिला–जालोर।

अप्रार्थीगण...........

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

तारीख रजु :– 07.01.2016

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय :

दिनांक :– 01.08.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा भादरुणा तहसील सांचौर में पुराना खेत खसरा नंबर 614, 615 रकबा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

क्रमशः 19 बीघा 12 बिस्वा, 124 बीघा 18 बिस्वा भूमि जुमले रकबा 134 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसमें खसरा नंबर 615 रकबा 124 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसके नये सर्वे के दौरान नये सृजित नंबर 1415, 1416, 1417, 1418, 1895, 1396, 1397, 1398, 1399, 1411, 1412, 1413, 1414 रकबा क्रमशः 0.01, 0.01, 2.60, 2.60, 1.20, 0.01, 0.03, 4.20, 0.65, 0.20, 3.60, 2.90, 2.31, हैक्टर नये नंबर सृजित किए गये। उक्त खसरा नंबर के पुराना नंबर 615 रकबा 124 बीघा 18 बिस्वा भूमि एक ही चक्र आई हुई है तथा उसे नये नंबर भी लगते हुए है जो आपसी भाई बंटवाड़ा के अनुसार सुविधा के अनुसार नये नंबर दर्ज किए गये है। पुराने खसरा नंबर 615 की भूमि पूरी की पूरी कृषि प्रयोजन की बारानी तृतीय क्लास की भूमि है तथा उसकी कदर काश्त में काम आ रही है। हमारे खातेदारी की कृषि भूमि का हमने कभी किस्म परिवर्तन नहीं करवाया। न ही किस्म परिवर्तन की कोई प्रार्थना की है। उक्त खसरा नंबर की भूमि प्रथम सर्वे की जमाबंदी संवत 2045 तक उसी कदर कृषि भूमि के रूप में दर्ज थीं, परंतु उसके बाद द्वितीय सर्वे हुआ, जिसमें द्वितीय सर्वे अधिकारियों ने बिना किसी अधिकारिता के बिना कोई मेरी सहमति लिये व बिना किसी तरह का आदेश पारित किये व बिना सुने हमारे कृषि प्रयोजन की भूमि का नया नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि गलत ढंग से पुराने खसरा नंबर 621 के साथ मिलाते हुए एक नया नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर सृजित कर व भूमि गैर मूमकिन रास्ता प्रयोजन की हमारे खातेदारी में दर्ज कर दी जो गलत है। द्वितीय सर्वे अधिकारियों को पूर्व राजस्व रेकर्ड की नकल करनी थी, उसमें किसी तरह की फेरफार करने का अधिकार द्वितीय अधिकारियों को नही था। फिर भी उन्होंने अपनी अधिकारिता से हटकर कृषि भूमि का किस्म परिवर्तन कर खसरा नंबर 1411 गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया तथा रास्ता प्रयोजन की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्शाया है जो गलत है तथा हमारे खातेदारी की भूमि पुराने खसरा नंबर 615 व अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 621 को मिलाकर खसरा नंबर 1411 बनाया है जो गलत है पुराने खसरा नंबर 615 व 621 की खातेदारी का कुछ रकबा संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज करने हेतु या तो सहखातेदारों की सहमति ली गई है तथा न ही हमारे को सुना गया है फिर भी हमारे खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 615 को खसरा नंबर 621 के साथ मिलाकर नया खसरा नंबर 1411 दर्ज किया है व उसकी किस्म परिवर्तन की है जो गलत है जिसके लिए द्वितीय सर्वे अधिकारियों को ऐसी कोई अधिकारिता नहीं थी। मौके पर राजस्व रेकर्ड में गलत ढंग से किस्म परिवर्तन कर व दो पुराने खसरान को मिलाकर जो नया नंबर सृजित किया है वो प्रथम दृष्टया काबिल दुरूस्ती के है, जिसे दुरूस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि पुराने खेत खसरा नं[illegible] 124 बीघा 18 बिस्वा के नये सृजित नंबर जो प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या [illegible] खसरा नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर की [illegible] अधिकार द्वितीय सर्वे अधिकारियों को नहीं होते हुए भी किस्म परिवर्तन कर गै.मु. रास[illegible] दर्ज किया है, उसे हटाया जाकर उक्त खसरा नंबर की किस्म अन्य खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1415, 1416, इत्यादि हमारे खातेदारी की भूमि खाता नंबर 76 के साथ उसी किस्म में दर्ज की जावें। तथा पुराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 621 का रकबा इसके साथ जोड़ा गया है जो हटाया जाकर पुनः मूल नंबर से बने नये नंबरान के साथ उसी किस्म में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान कर तहसीलदार सांचौर को उस अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती करने हेतु तहरीर जारी फरमावें।

2. राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपना जवाब पेश किया जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 615 रकबा 124 बीघा 18 बिस्वा भूमि संयुक्त खातेदारी से नव सृजित खसरा संख्या 1415, 1416, 1417, 1418, 1895, 1396, 1397, 1398, 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, मौके पर कब्जा काश्त अनुसार द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान सृजित हुए तथा मौके पर उपयोग अनुसार किस्म का अंकन होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुए। खसरा नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसका मौके पर भौतिक रूप से सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है। रास्ते के दोनों तरफ माठे बनी हुई है, आंशिक भाग पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। खसरा नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किसी भी प्रकार की रेकर्ड त्रुटि नहीं होने एवं वर्तमान में आमजन के रास्ता प्रयोजनार्थ उपयोग होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

3. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 1411 रकबा 0.20 हैक्टर की प्रथम तो किस्म परिवर्तन का अधिकार द्वितीय सर्वे अधिकारियों को नहीं होते हुए भी किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया, उसे हटाया जाकर उक्त खसरा नंबर की किस्म अन्य खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1415, 1416 इत्यादि खातेदारी की भूमि खाता नंबर 76 के साथ उसकी किस्म में दर्ज की जावें तथा पुराने खसरा नंबर 621 का रकबा इसके साथ जोड़ा गया है जो हटाया जाकर पुनः मूल नंबर से बने नये नम्बरान के साथ उसी किस्म में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर के जवाब में उल्लेखित तथ्यों अनुसार खसरा नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का है जिसका मौके पर भौतिक रूप में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है। अर्थात खसरा नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है। [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात एवं राज पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

अनवान जगमाल बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 02/2016
निर्णय तारीखः– 01.08.2025

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा भादरूणा के खसरा नंबर 1411 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज होने से एवं वर्तमान में भी आमजन द्वारा रास्ता प्रयोजनार्थ उपयोग होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 01.08.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner